



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाडमेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2024 / 205

दर्ज तिथि:-07.06.2024

1. विश्वनाराम पुत्र हरदास
जाति जाट, निवासी हीरानगर (नौखडा), तहसील नौखडा, जिला- बाडमेर।

.....वादी

बनाम

1. हरदास पुत्र भीया (फौत)
2. जोधा पुत्र भीया
3. मूला पुत्र भीया
4. अचला पुत्र ताजा
5. साला पुत्र ताजा
6. दुर्गाराम पुत्र मगा
7. रूपाराम पुत्र मगा
जाति जाट निवासी हीरानगर, नौखडा
8. तीजोंदेवी पत्नी उगराराम पुत्री हरदास
जाति जाट निवासी साईयों का तला आडेल, तहसील नौखडा जिला बाडमेर
9. कंवराराम पुत्र पदमाराम
जाति जाट, निवासी सावलोर, तहसील चौहटन, जिला बाडमेर

.....असल प्रतिवादी

10. तहसीलदार एवं उपपंजीयक नौखडा।

.....तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री जोगराज पोटलिया

प्रतिवादीगण:- श्री चोलाराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 88,53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955



—:निर्णय:—

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने निवेदन किया गया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 685/0.0809 है0, 687/6/5.4632 है0 मौजा हीरानगर पटवार हल्का नौखड़ा तहसील नौखड़ा में अवस्थित है। उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी के हिस्से निश्चित व निर्धारित होकर दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी का बिना विभाजन करवाए दीगर व्यक्तियों को बेचान करने एवं मौके पर प्रार्थीगण को बेदखल कर दीगर व्यक्तियों को कब्जा कराने पर आमदा है। इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया है। इससे प्रार्थीगण के हकों पर नकारात्मक असर होगा। इस प्रकार दौरान-ए-वाद उक्त आराजी पर रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाए रखने का निवेदन किया।
2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के बावजूद विधिवत तामिल हाजा न्यायालय नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी/प्रार्थी ने दौराने जिरह प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी के हिस्से निश्चित व निर्धारित होकर दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी का बिना विभाजन करवाए दीगर व्यक्तियों को बेचान करने एवं मौके पर प्रार्थीगण को बेदखल कर दीगर व्यक्तियों को कब्जा कराने पर आमदा है। इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया है। इससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। अतः उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण को राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।
3. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया है। उपरोक्त विधिक प्रावधान के संदर्भ में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-212 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-39 नियम-01 व नियम-02 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रथमदृष्टया विवाद, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना तथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने के साथ प्रार्थी का आचरण बेदाग होना आवश्यक है। उक्त संदर्भ में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है।
4. प्रकरण में सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया विषयवस्तु/विवाद कारण को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी के हिस्से निश्चित व निर्धारित होकर दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी का बिना विभाजन करवाए दीगर व्यक्तियों को बेचान करने एवं मौके पर प्रार्थीगण को बेदखल कर दीगर व्यक्तियों को कब्जा कराने पर आमदा है। इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण संयुक्त आराजी के बिना विभाजन करवाए मौके पर सहकाश्तकारों के कब्जे

में दखल देने तथा सहकाशतकारों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को मौके पर संयुक्त आराजी के किसी विशेष भाग का बेचान कर कब्जा सुपुर्द करने से संबंधित है। प्रकरण में वाद के विचारण के पश्चात् ही संयुक्त आराजी के मौके पर सहखातेदारों के मौके पर किसी हिस्सा विशेष पर कब्जा व हक हिस्से के बारे में निर्णयन किया जा सकता है। इस प्रकार प्रकरण में मजबूत प्रथमदृष्टया विषयवस्तु/विवाद कारण उत्पन्न होना प्रतीत होता है। जिसका निर्धारण दावा के गुणावगुण पर साक्ष्य-सबूत लेकर ही किया जा सकता है।

5. प्रकरण में अब प्रार्थीगण को होने वाली अपूर्णनीय क्षति को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी के हिस्से निश्चित व निर्धारित होकर दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी का बिना विभाजन करवाए दीगर व्यक्तियों को बेचान करने एवं मौके पर प्रार्थीगण को बेदखल कर दीगर व्यक्तियों को कब्जा कराने पर आमदा है। इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण संयुक्त आराजी के बिना विभाजन करवाए मौके पर सहकाशतकारों के कब्जे में दखल देने तथा सहकाशतकारों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को मौके पर संयुक्त आराजी के किसी विशेष भाग का बेचान कर कब्जा सुपुर्द करने से संबंधित है। प्रकरण में वाद के विचारण के पश्चात् ही संयुक्त आराजी के मौके पर सहखातेदारों के मौके पर किसी हिस्सा विशेष पर कब्जा व हक हिस्से के बारे में निर्णयन किया जा सकता है। दौरान-ए-वाद विवादग्रस्त आराजी के किसी हिस्सा विशेष के अंतरण होने एवं वाद के निर्णय के पश्चात् वादी के पक्ष में प्रकरण बनने की स्थिति में विवादग्रस्त आराजी में वादी के अधिकारों पर नकारात्मक व अपूर्णनीय क्षति होना प्रबल सम्भावित है। साथ ही इससे वादों की बहुलता में भी वृद्धि सम्भावित है। इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति उत्पन्न होना प्रतीत होता है।
6. प्रकरण में अब सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में झुकाव रखने के बारे में समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी के हिस्से निश्चित व निर्धारित होकर दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी का बिना विभाजन करवाए दीगर व्यक्तियों को बेचान करने एवं मौके पर प्रार्थीगण को बेदखल कर दीगर व्यक्तियों को कब्जा कराने पर आमदा है। इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण संयुक्त आराजी के बिना विभाजन करवाए मौके पर सहकाशतकारों के कब्जे में दखल देने तथा सहकाशतकारों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को मौके पर संयुक्त आराजी के किसी विशेष भाग का बेचान कर कब्जा सुपुर्द करने से संबंधित है। प्रकरण में वाद के विचारण के पश्चात् ही संयुक्त आराजी के मौके पर सहखातेदारों के मौके पर किसी हिस्सा विशेष पर कब्जा व हक हिस्से के बारे में निर्णयन किया जा सकता है। दौरान-ए-वाद विवादग्रस्त आराजी के किसी हिस्सा विशेष के अंतरण होने एवं वाद के निर्णय के पश्चात् वादी के पक्ष में प्रकरण बनने की स्थिति में विवादग्रस्त आराजी में वादी के अधिकारों पर नकारात्मक व अपूर्णनीय क्षति होना प्रबल सम्भावित है। इस प्रकार प्रकरण में उक्त आराजी के अंतरण पर रोक लगाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा की तुलना में प्रार्थीगण

को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

7. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का प्रकरण में मजबूत विवाद विषयवस्तु प्रकट होने, प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति प्रतीत होने तथा प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को हुई असुविधा की तुलना में प्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने के कारण प्रार्थी उक्त आराजी पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा ताफैसल वाद संख्या 2024/204 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर उभयपक्षकारान को मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा जारी व पुष्ट की जाती है।

आज 07.04.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर

गुढामालानी-बाड़मेर

